पटना में दिनांक–26 अगस्त, 2025 मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

उद्योग विभाग

1. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP), 2025 की स्वीकृति के संबंध में। — 1. **स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

2. बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु भोजपुर (आरा) जिला अन्तर्गत अंचल–तरारी के मौजा–मानिकपुर थाना संख्या–174, रकबा–56.02 एकड़ मौजा–पटखौली, थाना संख्या–173, रकबा–15.48 एकड़, मौजा–बसौरी, थाना नं०–175, रकबा–71.53 एकड़, मौजा–बेलडिहरी, थाना नं०–110, रकबा–9.98 एकड़ एवं मौजा–रन्नी, थाना नं०–172, रकबा–96.47 अर्थात कुल समेकित रकबा–249.48 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रू० 52,62,22,910/–(रूपये बावन करोड़ बासठ लाख बाईस हजार नौ सौ दस) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 2. **स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

3. शेखपुरा जिला अन्तर्गत अंचल–चेवड़ा, मौजा–हंसापुर, थाना नं०–07 एवं मौजा–अस्थावाँ, थाना नं०–04 में कुल रकबा–250.06 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रू० 42,16,30,233.00 (रूपये बियालिस करोड़ सोलह लाख तीस हजार दो सौ तैंतीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 3. **स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

4. रोहतास जिला अन्तर्गत अंचल–शिवसागर के मौजा–तारडीह, थाना नं०–574 में कुल रकबा–492.85 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि क्रमशः रू० 1,54,07,12,370.00 (रूपये एक अरब चौबन करोड़ सात लाख बारह हजार तीन सौ सत्तर) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 4. **स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

5. शिवहर जिला अन्तर्गत अंचल–तरियानी, मौजा–सलेमपुर थाना नं०–06, रकबा–147.43 एकड़ एवं मौजा–बेलाही दुल्लाह, थाना–141 रकबा–122.58 अर्थात समेकित कुल रकबा 270.01 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि क्रमशः रू० 1,05,27,12,000/–(रूपये एक अरब पांच करोड़ सताईस लाख बारह हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 5. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

6. दरभंगा जिला अन्तर्गत अंचल–बहादुरपुर, मौजा–तारालाही, थाना नं०–251 एवं मौजा–मोतनाजा तारालाही थाना–252 से कुल रकबा–361.38 एकड़ एवं अंचल–हनुमाननगर, मौजा–बिहारी मुकुन्द, थाना नं –221 एवं मौजा–अम्माडीह, थाना नं०–220 से कुल रकबा–24.07 एकड़ अर्थात समेकित कुल रकबा–385.45 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि क्रमशः रू० 3,76,07,79,329.00 (रूपये तीन अरब छिहत्तर करोड़ सात लाख उनासी हजार तीन सौ उनतीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 6. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

7. पटना–पूर्णिया एक्सप्रेसवे के समीप पूर्णिया जिला अन्तर्गत अंचल–के०नगर के मौजा–बिठनौली खेमचंद, थाना नं०–24 में रकबा–119.55 एकड़, मौजा–गणेशपुर, थाना नं०–36 में रकबा–152.40 एकड़ एवं मौजा–डरवे चकला, थाना नं०–29 रकबा 7.70 एकड़ अर्थात कुल समेकित रकबा–279.65 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रू० 66,91,91,318.00 (रूपये छियासठ करोड़ इकानवें लाख इकानवें हजार तीन सौ अठारह) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 7. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

8. पटना जिला अन्तर्गत अंचल–फतुहाँ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) परियोजना से सटे भू–भाग में GIFT- सामान औद्योगिक परियोजना के अधीन Fin Tech City विकसित करने हेतु मौजा–जैतीया, थाना नं०–79 में कुल रकबा 242 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि 4,08,81,30,503.00 (चार सौ आठ करोड़ इक्यासी लाख तीस हजार पाँच सौ तीन) रूपये मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 8. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

9. बिहार राज्य जल विद्युत निगम के अंतर्गत 12 निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 09 परियोजनाओं (तेजपुरा, डेहरा, सिपहा, वलिदाद, पहरमा, मथौली, राजापुर, अमेठी एवं डेहरी स्केप) के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 166.81 करोड़ (एक सौ छियासठ करोड़ इक्यासी लाख) रूपये की स्वीकृति एवं शेष 03 परियोजनाओं (बरबल, रामपुर एवं नटवार) को बन्द करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

9. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

10. पटना मुख्य नहर के बायें बांध–सह–सोन सुरक्षा तटबंध पर बैदराबाद में राष्ट्रीय राज्य मार्ग 139 (NH-139) से पालीगंज वितरणी के शीर्ष नियामक तक एवं पालीगंज वितरणी के सेवापथ पर पालीगंज शीर्ष नियामक से कोरियम मोड़ तक कालीकृत सड़क का निर्माण कार्य, प्राक्कलित राशि 10000.00 लाख रूपये (एक सौ करोड़ रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

10. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

11. पथ प्रमंडल बेनीपुर अंतर्गत कुशेश्वर स्थान (एस.एच–56) से फुलतोड़ाघाट पथ के कि0मी0 0.00 से 20.80 तक (कल लंबाई 20.80 कि०मी०) में मिट्टी कार्य, सीमेन्ट कंक्रीट पथ कार्य, आर०सी०सी० उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, ड्रेन निर्माण कार्य, डायवर्सन निर्माण कार्य, बचाव कार्य, रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य, कम्पेन्सेटरी एफोरेटेशन कार्य, युटिलिटी शिफ्टिंग कार्य, भू–अर्जन कार्य, विविध कार्य एवं पथ फर्निचर कार्य सहित उन्नयन/निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या 7025(एस.)डब्लु.ई., दिनांक 11.09.2018 से प्रदत्त मूल प्रशासनिक स्वीकृत राशि ₹24304.42 लाख का पुनरीक्षित राशि ₹38122.67 लाख (तीन सौ इक्कासी करोड़ बाईस लाख सड़सठ हजार) का प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

11. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12. बाँका जिलान्तर्गत अंचल–कटोरिया, मौजा–कलहोड़िया, थाना सं०–201/40, खाता सं०–01, खेसरा सं०–05 की कुल प्रस्तावित रकबा–51.40 एकड़ गैरमजरूआ मालिक किस्म–परती कदीम भूमि पर सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय (सी०टी०एस०) के निर्माण हेतु गृह विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

12. स्वीकृत।

विधि विभाग

13. समस्तीपुर न्यायमंडल अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, रोसड़ा में 15 कोर्ट भवन (G+4), एमिनिटी भवन (G+4) एवं हाजत भवन (G+1) के निर्माण कार्य हेतु रू०–39,50,31,000/–(उनचालीस करोड़ पचास लाख इक्कीस हजार रूपये) की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति। — 13. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

14. श्री आनन्द अभिषेक, परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), शेखपुरा को सेवा से विमुक्त (Discharge from service) किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

15. बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के लिए राज्य रणनीति एवं कार्य योजना, 2025 की स्वीकृति के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

16. वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान–सम्प्रति भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा के निर्माण योजना में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना से प्राप्त अनुरोध एवं प्राप्त विधिक राय के आलोक में Arbitration Award के विरूद्ध एकमुश्त 150 करोड़ रूपये के प्रावधान सहित कुल रू० 7,46,64,00,000/–(रूपये सात अरब छियालीस करोड़ चौंसठ लाख) मात्र के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। — 16. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

17. राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों के बीच उद्यमिता/स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तर्ज पर समाज कल्याण विभाग के मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के अंतर्गत "मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना" प्रारंभ करने एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना के संचालन हेतु राशि रू० 10,25,00,000/–(दस करोड़ पच्चीस लाख) की व्यय की स्वीकृति। — 17. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(वायुयान संगठन निदेशालय)

18. बिहार में नये अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने के लिए नीति की स्वीकृति के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

19. ERSS मिरर साईट कमांड एवं कंट्रोल सेंटर, गया के संचालन हेतु आवश्यक 132 पदों के सृजन के संबंध में। — 19. स्वीकृत।

कृषि विभाग

20. राज्य स्कीम मद से किसान सलाहकार योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 से किसान सलाहकरों के मानदेय को 13,000/–से बढ़ाकर 21,000/– रूपये प्रतिमाह भुगतान करने हेतु अतिरिक्त कुल 6787.10736 लाख (सड़सठ करोड़ सतासी लाख दस हजार सात सौ छत्तीस) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध मे। — 20. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

21. वैशाली जिलान्तर्गत वैशाली में एक पाँच सितारा होटल/रिसॉर्ट का निर्माण एवं संचालन जन–निजी भागीदारी (पी०पी०पी०) के माध्यम से आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुरूप कराये जाने हेतु पूर्व में दिनांक–19.08.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–09 के रूप में प्रदत्त सैद्धांतिक स्वीकृति में कतिपय संशोधन की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में। — 21. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

22. गया जिलान्तर्गत अंचल–नगर गया के मौजा–दुर्बे, थाना सं०–177 के विभिन्न खाता एवं खेसरा का कुल रकबा–15 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) अनावाद बिहार सरकार एवं अनावाद सर्वसाधारण भूमि खेल मैदान अवसंरचना निर्माण हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना को स्थायी निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — 22. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

23. पटना जिलान्तर्गत फुलवारीशरीफ अंचल के मौजा–जगनपुरा, थाना सं०–26, खाता सं०–176, खेसरा सं०–1088 की कुल प्रस्तावित रकबा–0.0158 एकड़ कैसरे हिन्द भूमि, जो बिहार सरकार के दखल–कब्जे में है। उक्त भूमि पर जगनपुरा मेट्रो स्टेशन के निर्माण हेतु 30,00,000/–रू० प्रति डी० की दर से 47,40,000/–रू० सलामी एवं सलामी का 05 प्रतिशत व्यवसायिक लगान अर्थात् 2,37,000/–रू० का 25 गुणा अर्थात् 59,25,000/–रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि–1,06,65,000/–(एक करोड़ छः लाख पैंसठ हजार) रूपये के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — 23. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

24. सारण जिलान्तर्गत अंचल–जलालपुर के मौजा–बंगरा, थाना सं०–151/2 के खाता सं०–107, खेसरा सं०–426, रकबा–11–04–5 (बीघा–कट्ठा–धूर) एवं खाता सं०–104, खेसरा सं०–427, रकबा–9–16–11 कुल प्रस्तावित रकबा–21 बीघा 16 धूर (15.5 एकड़) गैरमजरूआ मालिक परती कदीम शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के स्वामित्व की भूमि डेयरी प्रोजेक्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

24. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

25. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित राजस्व महा–अभियान के सफल संचालन एवं सुगम क्रियान्वयन हेतु CSC, e-Governance Service India Limited, New Delhi को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम–131 ज्ञ(त) एवं वित्त विभागीय संकल्प सं०–12888, दिनांक–03.12.2024 के प्रावधानों के आलोक में नामांकन के आधार पर गैर–परामर्शी सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु चयन के संबंध में।

25. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

26. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत डीलर कमीशन मद में केन्द्रांश की राशि रू० 45/–प्रति क्विंटल एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रू० 45/–प्रति क्विंटल अर्थात कुल रू० 90/–प्रति क्विंटल निर्धारित है। माह सितम्बर, 2025 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत डीलर कमीशन मद में रू० 90/–प्रति क्विंटल तथा राज्य योजना से अतिरिक्त डीलर कमीशन के रूप में रू० 47/–प्रति क्विंटल करने एवं इस प्रकार सभी मदों के साथ केन्द्रीय सहायता, राज्यांश एवं राज्य योजना मद, कुल दर 211.40 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 258.40 रूपये प्रति क्विंटल करने के संबंध में।

26. स्वीकृत।